/-

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 08/2014

तारीख रजू :–11.03.2014

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

..........आवेदक

बनाम

1. अरविन्द कुमार खण्डेलवाल पुत्र जगदीश प्रसाद खण्डेलवाल (खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक) मैसर्स खण्डेलवाल एजेन्सीज होटल पिंक पैलेस के नीचे बजरिया सवाई माधोपुर राज0 निवासी 36 – राजनगर कॉलोनी सवाई माधोपुर।
2. श्रीमति माया जालान (खाद्य कारोबार कर्त्ता एवं मालिक) मैसर्स जालान एन्टरप्राईजेज 9(2) इण्डस्ट्रियल एरिया झोटवाडा, जयपुर (राज0)
3. दीपक जालान (निदेशक), मैसर्स जालान फुड प्रोडक्टस 9(2) इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा जयपुर (राज0)
4. मोहन लाल जालान (निदेशक), मैसर्स जालान फुड प्रोडक्टस 9(2) इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा जयपुर (राज0)
5. मनोज जालान (निदेशक), मैसर्स जालान फुड प्रोडक्टस 9(2) इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा जयपुर (राज0)
6. मैसर्स जालान फुड प्रोडक्टस 9(2) इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा जयपुर (राज0)

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः–

दिनांक 22/2/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार चेजारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 13.06.2013 को समय 01.15 पी.एम पर मैसर्स खण्डेलवाल एजेन्सीज होटल पिंक पैलेस के नीचे बजरिया सवाई माधेपुर पर पहुंचा वहाँ पर अरविन्द कुमार खण्डेलवाल पुत्र जगदीश प्रसाद खण्डेलवाल (मौके पर विक्रेता एवं खाद्य कारोबार कर्ता) निवासी 36– राजनगर कॉलोनी सवाईमाधोपुर उपस्थित मिला । आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया व विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया जहाँ विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (केम्पाकोला) 200 मि.ली. मिसब्राण्ड प्रतित होने की शंका होने पर विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा गया, विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञा पत्र एव कय बिल मौके पर नहीं होना बताया। खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (केम्पाकोला) 200 मि.ली. का नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने हेतु सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गई। यह है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (केम्पाकोला) 200 मि.ली. की 60 बोतलें पैक वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 600/– रूपयें नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये तथा तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (केम्पाकोला) 200 मि.ली. की 60 बोतले 04 बराबर बराबर भागों में कर 04 कार्टूनों में भर कर प्रत्येक कार्टून को अच्छे से भरकर चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया गया तथा प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच– 298 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौक पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकार हस्ताक्षर करवाये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म न0 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म न0 6 की अलग से सील्ड लिफाफें में स्वयं आवेदक द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गयी। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म न0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ (मुख्य चिकित्साा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2013/1305 दिनांक 03.07.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एलएस/1164/एक्ट/2013/688 दिनांक 25.06.2013 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (केम्पाकोला) 200 मि.ली. मिसब्राण्ड(पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 का उल्लंघन) होना पाया गया है। यह है कि अनुसंधान बाबत अरविन्द कुमार खण्डेलवाल पुत्र जगदीश शर्मा मैसर्स खण्डेलवाल एजेन्सीज होटल पिंक पैलेस के नीचे बजरिया सवाई माधोपुर एवं श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को पत्र लिखा गया । यह है कि मैसर्स खण्डेलवाल एजेन्सीज ने प्रत्युत्तर मय फर्म के वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रति खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर केम्पाकोला 200 मि.ली. के खरीद बिल की प्रति प्रस्तुत की। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त सं0 1 व 2 ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (केम्पाकोला) 200 मि.ली. का विक्रय एवं भण्डारण कर तथा अभियुक्त सं0 3– 6 तक ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (केम्पाकोला) 200 मि.ली. का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकर कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त [illegible] की ओर से वकालतनामा श्री सत्येन्द्र गोयल एड0 ने पेश किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा [illegible] आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (केम्पाकोला) 200 मि.ली. का विक्रय कर खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2)(।।) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

वकील अभियुक्त सं0 1 लगायत 5 ने बहस में तर्क दिया है कि मुलजिम सं0 2 लगायत 5 को पुनः जांच करने. का अवसर नहीं दिया गया जो कि कानूनी प्रक्रिया के विरूद्ध है तथा इस बात का इन्द्राज स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने बयान में किया है। वकील अभियुक्त ने पुनःश्च तर्क दिया की लिये गये सेम्पल में किसी भी तरह की कमी नही थी तथा सभी कन्टेन्ट मानकों के अनुसार ही पाये गये हैं तथा भरे गये सेम्पल का लेबल भी एक दम स्पष्ट और नियमों के अनुसार ही किया गया है। अन्त में वकील अभियुक्त ने अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 के विरूद्ध की गई कार्यवाही को समाप्त करने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं0 एलएस/1164/एक्ट/2013/688 दिनांक 25.06.2013 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (केम्पाकोला) 200 मि.ली. पाया गया जिसका विक्रय कर खाद्यकारोबार कर्ता एवं विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टैण्डर्ड(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावे का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम और विनियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त स0 1 पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) तथा अभियुक्त स0 2 लगायत 6 पर संयुक्त रूप से 50,000/–रू0 (अक्षरे पचास हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/2/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 10:51:08 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर